प्रेषक :

जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)-चुनाव अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नेफेड),
नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
ईमेल आईडी- boardsection@nafed-india.com
दूरभाष सं. 011-26341810

नेफेड/चुनाव/2024-25/ 06 मार्च, 2024

सेवा में,

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की
सभी पात्र सदस्य समितियां/संघ/संस्थाएं

विषय: 21 मई, 2024 को नेफेड के निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव के संबंध में

आदरणीय महोदय,

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटीज नियम, 2002 (जीएसआर 591 (ई), दिनांक 04.08.2023, दिनांक 04.08.2023 से यथासंशोधित) के नियम 19च(क) के साथ पढ़ते हुए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 के 11) दिनांक 03.08.2023, 03.08.2023 से प्रभावी, द्वारा यथा संशोधित बहु-राज्य सहकारी सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 45ट(1) के अधीन शक्तियों के निर्वहन में सहकारिता मंत्रालय, कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश सं. सीईए-12011/13/2023 क्रमशः दिनांक 08 दिसंबर 2023 एवं 20 दिसंबर 2023 के अंतर्गत चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, निदेशक-मंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की एक विशेष सामान्य निकाय बैठक और मतदान (यदि आवश्यक हुआ) 21 मई, 2024 (मंगलवार) को प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे के मध्य एनसीयूआई सभागार, 3 सिरि संस्थागत क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, खेल गांव रोड, हौज खास, नई दिल्ली-110016 में आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात 22 मई, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से नव गठित बोर्ड की बैठक में पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा।

2. सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति, जैसा नेफेड की उप-विधियों में उल्लेख किया गया है, का विवरण उपविधि संख्या 20 के अनुसार प्रदान किया गया है।

हस्ता/-

"निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) उप-विधि संख्या 4 (क) (i) के अंतर्गत स्वीकृत संघ (केंद्र) शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक राज्य स्तरीय सामान्य प्रयोजन के सहकारी विपणन संघों का एक-एक नामित सदस्य जिन्होंने सदस्यता/अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से अंश के रुप में न्यूनतम पचास लाख का अंशदान किया है।

यदि इस प्रकार के सदस्य संघों की संख्या 10 से अधिक होती है तो नेफेड के निदेशक मंडल में क्रमानुसार (डिसेडिंग ऑर्डर) प्रथम 10 सदस्य संघ एक-एक निदेशक नामित करने के पात्र होंगे। क्रम (रैंकिंग) का आधार नेफेड की कुल अंशपूंजी में संबंधित राज्य की अंशपूंजी की प्रतिशतता का औसत और नेफेड के साथ उस संघ द्वारा किया गया औसत कारोबार होगा, किंतु इस कारोबार में उस राज्य में किए गए समर्थन मूल्य योजना/विपण हस्तक्षेप योजना के साथ किए गए कुल व्यवसाय या सरकारी योजना के अन्य किसी कारोबार को प्रतिशत के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) उप-विधि संख्या 4(क) (ii) के अंतर्गत सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ शासित राज्यों में शीर्ष स्तरीय विपणन समितियों से एक निदेशक का निर्वाचन, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर करना, यदि पात्र है और यदि कोई पात्रता पूरी नहीं करता तो उपर्युक्त पैरा (क) में तैयार सूची से ग्यारहवें उम्मीदवार के द्वारा इस रिक्ति को भरा जाएगा।

(ग) उप-विधि संख्या 4(क) (iii) के अंतर्गत प्रविष्ट सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित एक प्रतिनिधि।

(घ) उप-विधि संख्या 4(क) (iv) के अंतर्गत प्रविष्ट सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित सात प्रतिनिधि।

(ङ) उप-विधि सं. 4(क) (v) के अंतर्गत नेफेड के निदेशक मंडल में भारत सरकार का एक नामित सदस्य।

(च) उप-विधि सं. 4 (क) (viii) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का एक नामित सदस्य नेफेड के निदेशक मंडल में पारस्परिक (रेसिप्रोकल) आधार पर प्रतिनिधित्व करेगा।।

<u>उप-विधि 4(क) (iv) के अधीन निर्वाचन के लिए राज्यों का समूह</u>

1. **पश्चिमी क्षेत्र**	महाराष्ट्र एवं गुजरात
2. **उत्तरी क्षेत्र**	राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
3. **दक्षिणी क्षेत्र**	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा।
4. **मध्य क्षेत्र**	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड एवं उत्तराखंड।
5. **पूर्वी क्षेत्र**	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड।

हस्ता/-

3. बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम (संशोधित) अधिनियम, 2023 (2023 का 11) दिनांक 03.08.2023 द्वारा यथासंशोधित बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम 2002 की धारा 38(3) में उल्लेख है किः

"यदि एक बहुराज्य सहकारी समिति की सामान्य निकाय या निदेशक मंडल की किसी बैठक में एक सहकारी समिति या अन्य बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है तो ऐसी बैठक में ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्य सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्य सहकारी समिति के, यथास्थिति, अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अथवा सहकारी समिति के निदेशक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा, यदि निदेशक मंडल द्वारा सदस्य को प्राधिकृत किया जाता है तथा यदि ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्य सहकारी समिति का किसी भी कारण से निदेशक मंडल नहीं है तो उसका प्रतिनिधित्व ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्य सहकारी समिति के प्रशासक के द्वारा किया जाएगा चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।"

बशर्ते जहां बहु-राज्य सहकारी समिति की उप-विधियों में अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान है, तो इस प्रकार की बहु-राज्य सहकारी समिति की सामान्य निकाय या निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने के लिए ये संस्थाएं अपने नामित व्यक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगी।

4. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी सहकारी समिति के अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी या किसी सदस्य का नाम भेजें और यदि आपकी समिति के प्रतिनिधि को इस प्रकार से प्राधिकृत किया जाता है तो अपने समिति/संघ के निदेशक मंडल का प्रस्ताव, प्रतिनिधि के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, तथा समिति की मोहर लगाकर भेजें। यदि समिति का निदेशक मंडल नहीं है तो आपकी समिति के प्रशासक, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, को अपने हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को लिखित में सूचित करना होगा कि सामान्य निकाय की बैठक में वे समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रस्ताव/नामांकन दस्तावेज निम्नलिखित पते पर निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकृत श्री पवन पुरी, प्रबंधक, नेफेड के पास अधिकतम 20 अप्रैल, 2024 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिएं:-

हस्ता/-
सहायक चुनाव अधिकारी,
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)-चुनाव अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नेफेड),
नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
ईमेल आईडी- boardsection@nafed-india.com
दूरभाष सं. 011-26341810

कृपया नोट करें कि बहु-राज्य सहकारी सोसाइटीज नियम, 2002 (जीएसआर 591 (ई), दिनांक 04.08.2023, दिनांक 04.08.2023 से यथासंशोधित) के नियम 19ज के उप नियम 5 एवं 6 के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए नियत तारीख के पश्चात प्रतिनिधि के नाम की सूचना का प्रस्ताव/नामांकन प्राप्त होने पर न तो उसे स्वीकार किया जाएगा और न ही प्रतिनिधियों की सूची में शामिल किया जाएगा।

5. चुनाव का कार्यक्रम निम्न प्रकार से होगा:-

क्र. सं	विवरण	तिथि	समय	स्थान
1	मतदान के लिए पात्र सदस्यों की अस्थायी सूची का प्रकाशन	27 अप्रैल, 2024 (शनिवार)	प्रातः 11.00 बजे	नेफेड भवन, नई दिल्ली-110014
2	अस्थायी सूची पर आपत्तियां (यदि कोई हो) दर्ज करने के लिए समय-सीमा	29 अप्रैल, 2024 से 4 मई, 2024 (सोमवार से शनिवार)	प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे (प्रत्येक दिन)	-वही-
3	मतदान के लिए पात्र सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन	6 मई, 2024 (सोमवार)	प्रातः 11.00 बजे	-वही-
4	नामांकन फॉर्म जारी करना एवं भरना	7 मई, 2024 से 13 मई, 2024 (मंगलवार से सोमवार)	प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे (प्रत्येक दिन)	-वही-
5	प्राप्त नामांकनों की सूची का प्रकाशन	13 मई, 2024 (सोमवार)	सायं 05.00 बजे	-वही-
6	प्राप्त नामांकन फार्म की जांच	14 मई, 2024 (मंगलवार)	प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे (प्रत्येक दिन)	-वही-
7	वैध नामांकन की सूची का प्रकाशन	14 मई, 2024 (मंगलवार)	सायं 05.00 बजे	-वही-
8	नामांकन वापस लेना	15 मई, 2024 (बुधवार)	प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे (प्रत्येक दिन)	-वही-
9	चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन	15 मई, 2024 (बुधवार)	सायं 05.00 बजे	-वही-
10	मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हुआ	21 मई, 2024 (मंगलवार)	प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे	एनसीयूआई सभागार, 3 सिरि संस्थागत क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, खेल गांव रोड, हौज खास, नई दिल्ली
11	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	21 मई, 2024 (मंगलवार)	मतदान के तत्काल पश्चात	-वही-

<u>पदाधिकारियों का चुनाव</u>

1	चुनाव अनुसूची की घोषणा	21 मई, 2024 (मंगलवार)	बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के परिणाम की घोषणा के पश्चात	एनसीयूआई
2	नव गठित बोर्ड की बैठक एवं वैध नामांकन, मतदान के लिए सूची का प्रकाशन (यदि वांछित हुआ) एवं पदाधिकारियों के चुनाव के परिणाम की घोषणा	22 मई, 2024 (बुधवार)	प्रातः 10.00 बजे से	एनसीयूआई

हस्ता/-

नेफेड के पदधारियों को चुनने के लिए नव-निर्वाचित निदेशक मंडल के सदस्यों की बैठक 22.05.2024 को प्रातः 10.00 बजे से उसी स्थान पर होगी।

6. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन अनुलग्नक-II पर संलग्न प्रपत्र III पर होगा, जिसे समिति के किसी भी सदस्य को अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत श्री पवन पुरी, प्रबंधक, नेफेड द्वारा निवेदन पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नामांकन फार्म पर एक सदस्य प्रस्तावक (प्रपोजर) के रूप में और दूसरा सदस्य समर्थक (सेकेण्डर) के रूप में हस्ताक्षर करेगा। इन दोनों के नाम प्रतिनिधियों की सूची में शामिल होने चाहिए। उम्मीदवार नामांकन फार्म पर अपने हस्ताक्षर करेगा और एक घोषणा भी करेगा कि वह चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत है।

चुनाव अधिकारी अथवा श्री पवन पुरी, प्रबंधक, नेफेड के समक्ष उम्मीदवार स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा नामांकन फार्म जमा कर सकता है तथा जो चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन फार्म प्रस्तुतीकरण के लिए निर्दिष्ट तिथि एवं समय के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे तथा चुनाव अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो नामांकन पत्र प्राप्त करेगा, वह अपने क्रम संख्या में नामांकन फार्म को प्रविष्ट करेगा तथा तिथि एवं समय को सत्यापित करेगा, जिस पर उसके द्वारा नामांकन फार्म प्राप्त किए गए हैं और तत्काल इस प्रकार के नामांकन फार्म की प्राप्ति के लिए लिखित पावती प्रदान करेगा, जिस पर समिति की मोहर भी लगी होगी।

चुनाव अधिकारी नियत समय पर नामांकन फार्म प्राप्ति बंद करेंगे, उनके द्वारा प्राप्त नामांकनों की सूची को समिति के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले नामांकन फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा, और उन्हे रद्द कर दिया जाएगा।

7. कृपया पावती भेजें।

भवदीय

हस्ता/-
सहायक चुनाव अधिकारी,
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)-चुनाव अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नेफेड),
नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
ईमेल आईडी- boardsection@nafed-india.com
दूरभाष सं. 011-26341810

संलग्नक- यथोपरि

प्रतिः

1. सहकारी समितियां चुनाव प्राधिकरण, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली-110 003
2. केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली-110 003
3. प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नेफेड भवन, आश्रम चौक, रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
4. श्री पवन पुरी, प्रबंधक, नेफेड, नई दिल्ली को अनुरोध है कि आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर वे प्रतिनिधियों को नामांकन फार्म जारी करें। उन्हें यह भी प्राधिकृत किया जाता है कि वे नामांकन फार्म भी प्राप्त करें और इसके लिए पावती भी जारी करें, जैसा बहु- राज्य सहकारी सोसायटीज नियम, 2002 (जीएसआर 591 (ई), दिनांक 04.08.2023, 04.08.2023 से प्रभावी, यथासंशोधित) की अनुसूची में प्रावधान है।
5. नेफेड के मुख्य कार्यालय, और शाखा कार्यालयों/उप-कार्यालयों आदि के सूचना-पट्टों पर।

हस्ता/-
सहायक चुनाव अधिकारी,
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)-चुनाव अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नेफेड),
नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
ईमेल आईडी- boardsection@nafed-india.com
दूरभाष सं. 011-26341810

परिशिष्ट-1

....
....
....
(भेजने वाली समिति का नाम व पूरा पता)

जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)-चुनाव अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नेफेड),
नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड़, नई दिल्ली-110 014
ईमेल आईडी- boardsection@nafed-india.com
दूरभाष सं. 011-26341810

विषय: नेफेड, नई दिल्ली की विशेष सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधियों के नामांकन के संबंध में

क्र. सं.	नामित व्यक्ति का नाम व पूरा पता	समिति में उनका पद (अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी/ प्रशासक)

नेफेड की विशेष सामान्य निकाय में उपर्युक्त प्रतिनिधि को नामित करने संबंधी निदेशक मंडल के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न है।*

अथवा

अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में उक्त समिति के प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं और वे इस समिति की ओर से नेफेड की सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधित्व करेंगे।*

भवदीय

(   )

नामित के हस्ताक्षर..........................

श्री...................................के हस्ताक्षर

सत्यापित
मुख्य कार्यकारी
समिति की मोहर
* जो लागू न हो कृपया उसे काट दें।

परिशिष्ट-II

फार्म-III
नामांकन फार्म

निदेशक-मंडल के चुनाव हेतु नामांकन फार्म

1. बहु-राज्य सहकारी समिति का नाम व पता :
2. समिति और पता

3. उम्मीदवार का नाम यदि वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं सदस्य है/प्रतिनिधि का नाम और उस सदस्य सहकारी समिति/बहु-राज्य सहकारी समिति का नाम, जिसका वह प्रतिनिधि है। :

4. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम संख्या :

5. पिता/माता या पति का नाम (व्यक्तिगत सदस्य के मामले में) :

6. पता :

7. प्रस्तावक (प्रपोजर) का नाम, यदि प्रपोजर व्यक्तिगत सदस्य है और यदि प्रपोजर समिति का प्रतिनिधि है तो समिति और प्रतिनिधि का नाम :

8. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक (प्रपोजर) की क्रम संख्या :

9. प्रस्तावक (प्रपोजर) के हस्ताक्षर :

कृ.पृ.उ.

10. समर्थक (सैकेंडर) का नाम, जब सैकेंडर व्यक्तिगत सदस्य हो और यदि सैकेंडर समिति का प्रतिनिधि है तो समिति और प्रतिनिधि का नाम :

11. सदस्यों के रजिस्टर में समर्थक (सैकेंडर) की क्रम संख्या :

12. समर्थक (सैकेंडर) के हस्ताक्षर :

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं____________________पुत्र श्री____________________, समिति की सदस्य सं. ____________घोषणा करता हूँ कि मैं चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और मेरे संपूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार बहु-राज्य सहकारी समिति के अधिनियम, नियम और उप-विधियों की शर्तों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) के निदेशक मंडल की सदस्यता का पात्र हूँ।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

....

चुनाव अधिकारी द्वारा पावती

यह नामांकन पत्र मुझे दिनांक..को...............................बजे व्यक्तिगत रूप से श्री/श्रीमती...द्वारा दिया गया/ पंजीकृत डाक से प्राप्त हुआ।

चुनाव अधिकारी या उनके द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान..

दिनांक..

नामांकन नमूना प्रस्ताव की प्रति

निदेशक मण्डल/प्रबंध समिति
के प्रस्ताव की प्रति (समिति का नाम)--

प्रतिनिधि का फोटो

बैठक की दिनांक---------------------
कार्यसूची सं0-----------

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)नई दिल्ली की विशेष सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन

प्रस्ताव सं0----------
प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---आयु---
सुपुत्र/पत्नी श्री---
पदनाम---
आवासीय पता---

समिति का पता पिन कोड सहित---
---राज्य का नाम-----------------
ई-मे फोन न0 एंवम मोबाईल न0

नोट: कृपया बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि अपने बैंक खाते का रद किया हुआ चैक साथ में संलग्न करें।

को समिति/संघ की ओर से नेफेड की विशेष सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है। उन्हें निर्वाचन में खड़ा होने, मतदान करने और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन से अपना नाम वापिस लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। वे-----------वर्ष तक या दूसरे प्रस्ताव के द्वारा नए प्रतिनिधि का नामांकन होने तक हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे।

बैठक के अध्यक्ष/प्रस्तुति अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यापित प्रति/कार्यालय की मोहर

दिनांक---------------------

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर-----------------------------------

अपने इलाके के जिला/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां अथवा सहकारी बैंक के प्रबंधक/शाखा प्रबन्धक अथवा जहाँ पर समिति का खाता है, के कार्यालय की मोहर सहित सत्यापित करवाएं।